प्रेस नोट दिनांक- 04.11.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़,जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, चोरी की 01 अदद डीजे मशीन बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम अरों (बहेलियन का पुरवा) थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना संग्रामगढ़ पर दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि उसके घर के आसपास लगभग तीन-चार दिनों से सलमान उर्फ पापा पुत्र मो० अमीन निवासी ग्राम अरो थाना संग्रामगढ़, जो क्षेत्र में चोरी करने के लिए बदनाम है, लगातार रैकी कर रहा था। दिनांक 20.01.2025 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मशीन चोरी कर ली गई । वादी को पूर्ण विश्वास है कि उक्त चोरी सलमान उर्फ पापा ने अपने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर की है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 12/2025 धारा 305 बीएनएस बनाम एक नामजद अभियुक्त एवं अन्य अज्ञात साथियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 सूबेदार राय हमराह का० विजय चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 12/2025 धारा 305, 317(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त रंजीत पुत्र शत्रुघ्न निवासी ग्राम अरों (बहेलियन का पुरवा) थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष को एक अदद डीजे मशीन के साथ थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रातंर्गत कैथा अशोगी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।
उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 1. रंजीत पुत्र शत्रुघ्न निवासी ग्राम अरों (बहेलियन का पुरवा) थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि यह मशीन चोरी की है, जिसे उसने जनवरी माह में सर्दियों की एक रात अपने गांव के हरीलाल के घर के बरामदे से तीन मशीनों के साथ चोरी किया था। इनमें से दो मशीनों को वह पहले ही राह चलते व्यक्तियों को बेच चुका है। अभियुक्त ने बताया कि आज वह इस तीसरी मशीन को बेचने के उद्देश्य से यहां खड़ा था, ताकि कोई राहगीर कबाड़ी मिले तो उसे यह मशीन बेच सके।

पुलिस टीम- उ0नि0 सूबेदार राय हमराह का० विजय चौहान थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 25000/- रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 22.10.2025 को ग्राम बावरिया थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ में आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट व हमला कर वादी व वादी के परिजनों को घायल कर देने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में 06 नामजद अभियुक्त कुछ साथी नाम पता अज्ञात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । उक्त घटना में घायल व्यक्ति रुद्र प्रताप पाण्डेय की श्री राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में ईलाज के दौरान दिनांक 03.11.2025 को मृत्यु हो गयी थी । उपरोक्त अभियोग में धारा 103 (1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय, उ0नि0 आकाश शुक्ला, का० मुकेश कुमार व का मकुल अग्रे मय चालक का0 देवेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 202/2025 धारा 191(2)/191 (3)/190/115 (2)/352/351 (3)/131/109(1)/110/103 (1) BNS थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 25000/- रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त प्रभाकर पाण्डेय उर्फ आदित्य पाण्डेय उर्फ शनी पुत्र कमलनारायण पाण्डेय निवासी ग्राम बावरिहा पहाड़पुर थाना सांगीपुर जनपद

प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना सांगीपुर क्षेत्रातंर्गत लखहरा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

इससे पूर्व उक्त घटना से संबंधित 01 अभियुक्त कमलनारायण पाण्डेय पुत्र स्व0 नन्दकिशोर पाण्डेय निवासी निवासी ग्राम बावरिहा पहाड़पुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 23.10.2025 को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार ईनामिया अभियुक्त का विवरण-
1. प्रभाकर पाण्डेय उर्फ आदित्य पाण्डेय उर्फ शनी पुत्र कमलनारायण पाण्डेय निवासी ग्राम बावरिहा पहाड़पुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

अपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0- 125/2024 धारा 307/452/504/506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
02.मु0अ0सं0-202/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 131, 109(1), 110 BNS भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- थाना प्रभारी सांगीपुर मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय,उ0नि0 आकाश शुक्ला, का० मुकेश कुमार व का मकुल अग्रे मय चालक का0 देवेन्द्र सिंह थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एटीएम फ्रॉड का किया पर्दाफाश— काली प्लेट, कटर चाकू, फर्जी आधार कार्ड व एटीएम फ्राड का 5500 रुपए नगद बरामद सहित 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त सबीउद्दीन उर्फ शौकीन पर जनपद प्रयागराज, वाराणसी, रायबरेली, प्रतापगढ में लूट, डकैती, धोखाधड़ी, विस्फोटक पदार्थ, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, मारपीट जैसे लगभग 11 संगीन पजीकृत किया गया है-

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत यूको बैंक एटीएम में कूटरचित छेड़छाड़ कर ग्राहकों के धन की धोखाधड़ीपूर्ण निकासी का मामला प्रकाश में आने पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
शाखा प्रबंधक यूको बैंक प्रतापगढ़ द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी थी कि यूको बैंक शाखा प्रतापगढ़ (निकट रोडवेज बस स्टैंड सिविल लाइन) स्थित एटीएम में कुछ अराजक तत्वों द्वारा दिनांक 22.10.2025 से विभिन्न तिथियों में कूटरचित तरीके से छेड़छाड़ कर काली शीट लगाकर ग्राहकों के धन की धोखाधड़ीपूर्वक निकासी की गई है। अब तक ₹19,002/- की अवैध निकासी प्रकाश में आई है। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 562/2024 धारा 318(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह हे0का0 नागेन्द्र प्रताप सिंह व कां0 सूर्य शेखर द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग से संबंधित से संबंधित अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त बीउद्दीन उर्फ शौकीन पुत्र मोहम्मद सगीर निवासी शकुहाबाद थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रातंर्गत प्रतापगढ़ रोडवेज के बगल गली के पास से गिरफ्तार किया गया।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद काली प्लास्टिक की प्लेट, 01 अदद कटर चाकू, 01 अदद फर्जी आधार कार्ड व एटीएम फ्राड का 5500 रुपए नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 336 (3), 340 (2), 336, 317 (2) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गई।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं और अनम पुत्र मो0 अनीश निवासी बासुपुर थाना लीलापुर तथा सुल्तान उर्फ डल्लू निवासी परमेश्वरापुर थाना लीलापुर के साथ मिलकर एटीएम में चोरी से यही प्लास्टिक प्लेट लगा देते हैं और बाद में आकर जब ग्राहक चला जाता है तो इसी कटर से पैसा चुरा कर चले जाते हैं। हम लोगों ने लगभग 25000 यूको बैंक एटीएम बस अड्डा के पास से चुराए थे, जिसको आपस में बांट लिए थे यह उसी का बचा हुआ रुपया है। आधार कार्ड के सम्बन्ध में बताया कि अपराध करने के दौरान अपनी पहचान छिपाने के लिए फिल्मी तरीके से आधार कार्ड को कूटरचित कर फोटो या

नाम पता को बदल कर धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से आधार कार्ड बनाते हैं। जिससे की घटना के उपरान्त बाहर जाकर अपनी पहचान छिपाकर आसानी से पुलिस से बच सके। आज मैं फिर एटीएम से चोरी करने के लिए आया था कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का विवरण-
01. सबीउद्दीन उर्फ शौकीन पुत्र मोहम्मद सगीर निवासी शकुहाबाद थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
अन्तर्जनपदीय अभियुक्त सबीउद्दीन उर्फ शौकीन पुत्र मो0 सगीर निवासी शकुहाबाद थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास
01. मु0अ0सं0 191/21 धारा 120B/392/411 भादवि थाना मऊआईमा, जनपद प्रयागराज।
02. मु0अ0सं0 192/21 धारा 120B/392/411 भादवि थाना मऊआईमा, जनपद प्रयागराज।
03. मु0अ0सं0 126/21 धारा 3/4 विस्फोटक अधिनियम थाना मऊआईमा, जनपद प्रयागराज।
04. मु0अ0सं0 347/21 धारा 3/4 गैंगेस्टर एक्ट थाना मऊआईमा, जनपद प्रयागराज।
05. मु0अ0सं0 264/20 धारा 392/411 भादवि थाना होलागढ़, जनपद प्रयागराज।
06. मु0अ0सं0 203/24 धारा 309(6)/317(2)/352 बीएनएस थाना गदागंज, रायबरेली।
07. मु0अ0सं0 214/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना गदागंज, रायबरेली।
08. मु0अ0सं0 404/23 धारा 342/395/397/412 भादवि थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी।
09. मु0अ0सं0 228/23 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना लीलापुर, प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0 179/24 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0 562/2024 धारा 318(2)धारा 336(3),340(2),336,317 (2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 01 अदद काली प्लास्टिक की प्लेट, 01 अदद कटर चाकू, 01 अदद फर्जी आधार कार्ड व एटीएम फ्राड का 5500 रुपए नगद बरामद।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह हे0का0 नागेन्द्र प्रताप सिंह व कां0 सूर्य शेखर थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना लालगंज पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 राजेन्द्र राम मय हमराह हे0का0 जाहिद हुसैन मय का० विशाल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 65(1), 137(2), 87, 351(2) बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट व 3(2)5, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त अनुराग पटेल पुत्र धर्मेन्द्र कुमार निवासी सराय संग्राम सिंह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना लालगंज क्षेत्रातंर्गत सोना सरैया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अनुराग पटेल पुत्र धर्मेन्द्र कुमार निवासी सराय संग्राम सिंह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ0नि0 राजेन्द्र राम मय हमराह हे0का0 जाहिद हुसैन मय का० विशाल यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व 01 नफर विधि का उलंघन करने वाला बालक पुलिस अभिरक्षा में-
थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देवघाट की ओर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01अदद लोहे की राड़ (सरिया) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आरोपीगणों द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 03.11.2025 को दवघाट मोड़ मोहनगंज में वादी के भाई के साथ मारपीट व हत्या का प्रयास व रंगदारी माँगने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 316/2025 धारा 109 (1),352,351 (2),308 (2), 118 (1) बीएनएस बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह का० विपिन कुमार,का0 मनीष पाण्डेय द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात मे पंजीकृत मु0अ0सं0-316/2025 धारा 109 (1),352,351 (2),308 (2), 118 (1) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त 01 शिव प्रसाद सिंह पुत्र स्व. राममोहन सिंह निवासी पुरे खुशई मोहनगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष गिरफ्तार, व विधि का उलंघन करने वाले बालक को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01अदद लोहे की राड़ (सरिया) बरामद गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अभियुक्त शिव प्रसाद सिंह पुत्र स्व. राममोहन सिंह निवासी पुरे खुशई मोहनगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह का० विपिन कुमार,का0 मनीष पाण्डेय थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।